

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:- 35

दिनांक:- 07/02/25

-:: वाहन आमंत्रण सूचना ::-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.0/रालसा/संस्था-संविदा सेवा/2025/26419-449 दिनांक 04.02.2025 के निर्देशानुसार एवं वित्त (जी.एण्ड.टी./एसपीएफसी) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018, 31.03.2021, 05.04.2022 एवं 03.10.2023 के पूर्ण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार 2000 कि०मी० (अधिकतम) प्रतिमाह रनिंग के लिए रू० 34100/- (अधिकतम) प्रति माह के मासिक किराये के आधार पर इस कार्यालय(सम्पूर्ण जिला क्षेत्राधिकार) के लिए दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक कुल 13 माह की अवधि के लिए महिन्द्रा बोलरो/मारुति स्विफ्ट डिजायर अथवा इस श्रेणी का समकक्ष वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त वाहन पूर्णतया अनुबंध के आधार पर लिया जाना है। संबंधित व्यक्ति/फर्म/सेवा प्रदाता अपना प्रस्ताव वांछित दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त वाहन से संबंधित अन्य शर्तें इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं एवं कार्यालय समय में कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।

अतः इस विज्ञप्ति के जरिये सूचित किया जाता है कि वाहन अनुबंध पर लेने के लिए सर्वप्रथम महिन्द्रा बोलरो/ मारुति स्विफ्ट डिजायर वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी व महिन्द्रा बालेरो/मारुति स्विफ्ट डिजायर वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इसी श्रेणी का समकक्ष वाहन अनुबंध पर लिए जाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/सेवा प्रदाता दिनांक 19.02.25, 5:00 PM तक इस कार्यालय में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त विज्ञप्ति में इसके पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

- संलग्न:- 1. वाहन उपलब्ध कराने हेतु शर्तें।
2. प्रस्ताव पत्र

07.02.25
अध्यक्ष

वाहन किराया उपापन कमेटी
कोटा

क्रमांक:- 1417-1422

दिनांक:- 07/2/25

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ निम्न का प्रेषित है-

- नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा/न्यायालय परिसर, कोटा/जिला कलेक्ट्रेट, कोटा/सूचना केन्द्र, कोटा।
- कोषाधिकारी कोष कार्यालय, कोटा।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा वास्ते अपलोड किए जाने हेतु।
- जिला परिवहन अधिकारी कोटा।

07.02.25
अध्यक्ष

वाहन किराया उपापन कमेटी
कोटा

किराये से वाहन आपूर्ति प्रस्ताव पत्र

- कार्य का नाम:- महिन्द्रा बोलेरो/मारुति स्विफ्ट डिजायर अथवा अथवा इस श्रेणी का समकक्ष वाहन अनुबंध पर लिये जाने हेतु।
- वाहन अनुबंध की अवधि:- वर्ष 2024-2025 एवं 2025-26 (कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026 तक)
- प्रस्ताव/आवेदन करने वाली फर्म का नाम, पता टेलीफोन न०/मो०न०
- किराये की सेवा अवधि का अनुमानित मूल्य 4,43,300 /- रुपये है।
- फर्म द्वारा टेक्सी प्रमाण पत्र/रोड टेक्स/पंजीयन प्रमाण पत्र/ दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
- वाहन अनुबंध की दरे निम्नानुसार है-

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार मॉडल	किलोमीटर प्रतिमाह	दर प्रतिमाह/प्रति कि०मी०	वाहन का पंजीयन संख्या (टेक्सी श्रेणी में पंजीकृत)
1		प्रथम 1500 कि०मी० या कम के लिए		
		1500 कि०मी० के बाद आगामी 2000 कि०मी० तक परिचालन हेतु		

- उपरोक्त उद्धृत की गयी दरें कार्यादेश जारी होने के पश्चात् दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
- मालिकाना हक का घोषणा पत्र संलग्न किया जा रहा है।
- अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समस्त शर्तों का पूर्णतया अवलोकन कर लिया है मैं निविदा के साथ संलग्न शर्तें 01 से लगायत 29 तक पूर्णतया सहमत हूँ और उन्हें मानने के लिए बाध्य रहूँगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

Contact/Fax: 0744-2940015 E-mail: dlsa26kota@gmail.com

दिनांक :

कार्यालय में महिन्द्रा बोलेरो/मारुति स्विफ्ट डिजायर अथवा इसी श्रेणी का समकक्ष वाहन उपलब्ध कराने हेतु शर्तें

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा के लिये एक चार पहिया वाहन महिन्द्रा बोलेरो/स्विफ्ट डिजायर अथवा इसी श्रेणी का समकक्ष वाहन को मासिक आधार पर किराये पर लेने के लिए राजस्थान सरकार विधि (गुप-2) विभाग की प्रासंगिक आज्ञा दिनांक 22.01.2025 के अनुसरण में वित्त विभाग की आईडी संख्या 332500085 दिनांक 22.01.2025 के क्रम में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.0/रालसा/संस्था-संविदा सेवा/2025/26419-449 दिनांक 04.02.2025 के निर्देशानुसार वित्त (जी. एण्ड.टी./एसपीएफसी) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018, 31.03.2021, 05.04.2022 एवं 03.10.2023 के पूर्ण प्रावधानों की पालना में निर्देशानुसार निम्न शर्तों के तहत उपलब्ध कराएगा :-

1. यह कि उक्त वाहन दिनांक कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि के लिये मासिक आधार पर किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उक्त वाहन को अवधि से पूर्व भी 7 दिवस का नोटिस देकर हटाया जा सकेगा।
2. महिन्द्रा बोलेरो वाहन/स्विफ्ट डिजायर अथवा इसी श्रेणी का समकक्ष वाहन किराये पर लेने के लिये अधिकतम 2000 कि.मी. प्रतिमाह रनिंग के लिए अधिकतम मासिक भुगतान 34,100/- किया जायेगा। रूपये 34,100/- के अतिरिक्त सेवा कर (यदि लागू हो तो) अतिरिक्त जमा किया जायेगा।
3. यदि किसी माह में वाहन अधिकतम 2000 कि.मी. नहीं चल पाया है तो भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :-
 - अ. प्रथम 1500 कि.मी. तक और 1500 कि.मी से कम होने पर भी भुगतान रूपये 28900/- किया जायेगा।
 - ब. एवं 1500 कि.मी. के अतिरिक्त रूपये 10/- प्रति कि.मी. का भुगतान किया जायेगा।
4. वाहन कोटा जिले के बाहर राजस्थान राज्य में अन्य किसी दूसरे जिले में वाहन ले जाने पर ड्राइवर को 300/- रूपये प्रति रात्रि पडाव भुगतान किया जायेगा।
5. टोल टेक्स का भुगतान सर्वप्रथम ड्राइवर द्वारा किया जायेगा एवं माह के अंत में सभी टोल टेक्स की रसीदे कार्यालय में प्रस्तुत करने पर वाहन मालिक को पुनर्भुगतान कर दिया जायेगा।
6. वाहन मालिक को मासिक भुगतान नियमानुसार ऑनलाईन या चैक के माध्यम से किया जाएगा।
7. यह कि यह वाहन वातानुकूलित होगा और यदि किसी समय वातानुकूलन में खराबी पाई जाती है तो वाहन मालिक वातानुकूलन खराबी को अविलम्ब सही करवाएगा।
8. यह कि वाहन मालिक वाहन के सीटों का कवर सफेद रखेगा। जब सीट कवर गंदे हो जाए तो उनकी धुलवाई वाहन मालिक पक्षकार द्वारा करवाई जाएगी।
9. वाहन मालिक वाहन के अन्दर सदैव प्राथमिक चिकित्सा किट रखेगा।
10. यह कि वाहन के अन्दर सदैव वाहन के आवश्यक उपकरण जैसे जैक, जैक पाना होगा तथा एक अतिरिक्त स्टेपनी उपलब्ध रहेगी।
11. यह कि वाहन मालिक वाहन को सदैव मेन्टेन अवस्था में रखेगा वाहन को मरम्मत के लिए भेजा जाने पर वाहन मालिक कार्यालय को अविलम्ब दूसरा वाहन जो कि टेक्सी के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिये उपलब्ध कराया जाएगा तथा वाहन रास्ते में खराब होने पर वाहन मालिक वाहन में यात्रा कर रहे अधिकारी, स्टाफ को नियत स्थान पर पहुँचाने के लिये दूसरे वाहन का अविलम्ब बंदोबस्त करेगा। ऐसा दूसरा वाहन इसी प्रकार या बेहतर कन्डीशन में होगा।
12. वाहन मालिक द्वारा भेजा गया वाहन चालक धुम्रपान व मद्यव्यसनी नहीं होगा। यदि किसी भी समय वाहन चालक वाहन चलाने के दौरान मद्यव्यसनी में पाया जाता है तो इस कार्यालय द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी। वाहन मालिक यह दायित्व स्वीकार करेगा है कि वाहन चालक अपना व्यवहार


"Help The Needy - Timely Help May Create History"

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

Contact/Fax: 0744-2940015 E-mail: dlsa26kota@gmail.com

मर्यादित तथा न्यायपालिका की गरिमा के अनुरूप रखेगा तथा समस्त यातायात संबंधी नियमों का पालन करेगा। परिचालन के दौरान वाहन चालक सदैव स्वच्छ ड्रेस में रहेगा।

13. यह कि वाहन पूर्णतया बीमित होगा। बीमा व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा। यह कि वाहन संबंधित सारे अन्य कर वाहन मालिक द्वारा वहन किये जाएंगे।
14. यह कि वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस होगा तथा वह वाहन सेवाओं के दौरान सदैव लाइसेंस धारण करेगा।
15. वाहन किराया अनुबंधित फर्म/व्यक्ति द्वारा अनुबंधित वाहन/वाहन चालक की किन्हीं कारणों से अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य वाहन/वाहन चालक की व्यवस्था अनुबंधित फर्म/व्यक्ति द्वारा की जायेगी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अन्य वाहन के उपयोग में लिये जाने पर उस पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण संबंधित अनुबंधित फर्म/व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।
16. वाहन प्रतिदिन कार्यालय समय पर व कार्यालय समय के अतिरिक्त भी आदेशानुसार उपलब्ध करवाना होगा।
17. वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
18. वाहन की फाइनेन्स की वकाया राशि के भुगतान का दायित्व वाहन स्वामी/चालक का रहेगा। अनुबन्ध की अवधि के बीच में ऋण की किस्त चुकता न करने पर फाइनेन्स कम्पनी द्वारा वाहन को जप्त करने एवं अन्य कोई संचालन में बाधा कारित करने पर संविदा तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने के दायित्व धीन होगी। वाहन उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में प्रतिदिवस शारित 1000/- आरोपित की जावेगी तथा विभाग किराये से अन्य वाहन लेने की स्थिति में यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो वसूली अनुमादित ठेकेदार से की जा सकेगी।
19. वाहन चालक का भारी वाहन चलाने का लाईसेंस नियमानुसार बना हुआ होना चाहिए।
20. किसी भी प्रकार के विवाद के लिए न्याय क्षेत्र कोटा रहेगा।
21. वाहन टेक्सी परमिट वाला होना आवश्यक है।
22. वाहन का माइलोमीटर चालू स्थिति में रहेगा तथा वाहन संचालन की रोजाना लॉग बुक संधारित कि जावेगी। भुगतान लॉग बुक के इन्द्राज अनुसार ही किया जावेगा।
23. डीजल व पेट्रोल की दरों में वृद्धि होने पर निविदादाता द्वारा दरों में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
24. वाहन चलाने समय किसी प्रकार की दुर्घटना/क्षति होने पर समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी/वाहन चालक की होगी।
25. वाहन चालक संविदा अवधि में वाहन को किसी अन्यत्र कार्य में प्रयुक्त नहीं कर सकेगा।
26. ड्युटी समय के बाद वाहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदा दाता/वाहन स्वामी/वाहन चालक की स्वयं की होगी।
27. वाहन चालक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं दृष्टिदोष नहीं होने का प्रमाण पत्र समक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राप्त कर प्रेषित करना होगा।
28. अनुबंधित फर्म/व्यक्ति/ वाहन मालिक वाहन में जी.पी.एस. की सुविधा लगायेंगे और उसका Login-ID तत्काल इस कार्यालय में Password के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे।
29. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में उपबंधित के अनुसार व्यक्ति स्वामी/ठेकेदार/फर्म से वाहन को किराये पर लेने पर वार्षिक व्यय की राशि का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Perfomace Security) जमा करानी होगी।


07.02.25-

07.02.25

अध्यक्ष

वाहन किराया उपापन कमेटी
कोटा

"Help The Needy - Timely Help May Create History"